राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

	विप्रार्थीगण
1. भंवराराम पुत्र लाधा जाति भील, निवासी भंवार 2. लीला पुत्री लाधा पत्नि मोहनलाल जाति भील निवासी सुजो का निवाण तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1. करनाराम पुत्र जाला 2. कानाराम पुत्र जाला 3. कालुराम पुत्र सिंधल 4. गुलाबी पत्नी सावू उर्फ सांभू 5. चांदी पत्नि मूला 6. मूलाराम पुत्र वसिया 7. रेशमाराम पुत्र सिंधल 8. विरधाराम पुत्र भंगू 9. सांभू पुत्र वसीया 10. हीरो पत्नि नारू जाति भील, निवासी भंवार तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा 12. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 41 /2025

17/02/25 प्रार्थी भंवराराम पुत्र लाधा जाति भील निवासी भंवार तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री शाकर खान समेजा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा पाबूजी नगर पटवार क्षेत्र भंवार भू.अ.नि. सेड़वा के खाता संख्या 9 खसरा संख्या 106 रकबा 24.1354 हैक्टेयर, किस्म बा0सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा पाबूजी नगर पटवार क्षेत्र भंवार भू.अ.नि. सेड़वा के खाता संख्या 9 खसरा संख्या 106 रकबा 24.1354 हैक्टेयर, किस्म बा0सोयम भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थी किसी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करें तथा न ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करने का प्रयास करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 07/04/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

07/04/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्यत्र कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 30/05/25 को पेश हो।

30/05/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील ... संख्या 01, 06 व 09 के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब व शेष की तलबी हेतु आईन्दा दिनांक 16/07/25 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.10 21:36:09 IST
Reason: SelfAttested

16/07/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 04/08/25 को पेश हो।

04/08/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 08/09/25 को पेश हो।

08/09/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 10/09/25 को पेश हो।

10/09/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अनु० विप्रार्थी स. 1, 6 व 9 के जवाब एवं शेष की तलबी हेतु पत्रावली आईन्दा दिनांक 15/10/2025 को पेश हो।

15/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेश की पालना में आईन्दा दिनांक 26/12/25 को पेश हो।

26/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रा[illegible]। चूंकि मूलवाद को अदम पैरवी। अदम [illegible] खारिज कर दिया गया है। तो इस आवेदन को आगे [illegible]ने का कोई औचित्य नहीं है, इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.10 21:37:02 IST
Reason: SelfAttested